न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. गिर्राज प्रसाद प्रभातीलाल जाति मीना निवासी ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. छोटया पुत्र श्री हरना (फौत)
   1/1 तीजा देवी पत्नि छोटया
   1/2 रामजीलाल पुत्र छोटया
   1/3 सीताराम पुत्र छोटया
   1/4 जगदीश पुत्र छोटया
   1/5 तपेन्द्र पुत्र छोटया
   1/6 रामकरण पुत्र छोटया
   1/7 प्रेम देवी पुत्री छोटया
   1/8 कृष्णा पुत्री छोटया
   जाति बैरवा निवासी ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील सिकराय जिलादौसा
3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय बाबत दावा उद्घोषणा तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल वगैरा प्रकरण सं. 59/2014 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल वगैरा प्रकरण सं. 23/2016 व 22/2016

उपस्थितिः— 1. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सुरेश बंशीवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1/2 लगा. 1/8 उपस्थित।

—:आदेश:— दिनांक 09.05.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल वगैरा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

वगैरा का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय मे पेश कर रखा है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी तलब की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी सं. 1/2 लगायत 1/8 राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति है। उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय सभी प्रकरणो में कम से कम दो–तीन महीने की पेशीया देते है परन्तु इस प्रकरण में नजदीक नजदीक की तारीख पेशीयां दी जा रही है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा नजदीक नजदीक पेशी तारीख देना यह निश्चित करता है कि अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण का उपजिला कलक्टर महोदय से मिलकर शीघ्र ही अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आमादा हैं। प्रार्थी को उक्त दावा में उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये दावा उद्घोषणा तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल वगैरा प्रकरण सं. 59/2014 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली छोटया (फौत) तीजो वगैरा बनाम भरतलाल वगैरा प्रकरण सं. 23/2016 व 22/2016 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/2 लगा0 1/8 द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के सीधे सादे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो कानून में विश्वास रखते हैं जिनका किसी राजनेताओं से कोई वास्ता नहीं हैं। पीठसीन अधिकारी पर मिलीभगत के झूठे आक्षेप लगाये गये हैं। प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 माह में निस्तारण के आदेश प्रसारित कर रखे हैं किन्तु प्रार्थी येन केन प्रकारेण उक्त प्रकरण के निस्तारण में जानबूझकर देरी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 19026/12 उनवान छोट्या पुत्र हरन्या बनाम भरतलाल पुत्र प्रभातीलाल वगैरा में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 02.1.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी को साक्ष्य जिरह का एक माह में अवसर प्रदान कर उसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए 6 माह में पत्रावली का निस्तारण करें। माननीय

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 24/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

राजस्थान उच्च न्यायालय की पालना में प्रतिवादी को साक्ष्य जिरह का अवसर उपलब्ध कराते हुए दिनांक 16.3.2018 को साक्ष्य जिरह पूर्ण कर पत्रावली दिनांक 25.3.2018 को बहस हेतु नियत की गई। माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना हेतु प्रतिदिन या वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता को कम समय देते हुए पत्रावली के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.1.2013 की पालना में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का कोई आचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official